# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 09/2024 — निर्णय दिनांक 06.08.2025

जीसीएमएस नम्बर 2024/19

सम्पतलाल पुत्र धन्नाराम जाति ब्राहम्ण निवासी बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादी—

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू–राजस्व श्रीडूंगरगढ़

—प्रतिवादी—

उपस्थितिः—

1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

**<u>दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व धारा 136 एलआर एक्ट</u>**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की और से वादपत्र निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत है कि वादी के सयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 286 तादादी 19.8000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 643 तादादी 13.5900 रोही बीझासर में स्थित है वादी के पिता धन्नाराम के फौत होने के बाद जब राजस्व रिकार्ड में विरास्तन नामान्तरण दर्ज हुआ तो वादी का नाम सम्पतलाल की जगह श्योपतराम दर्ज कर दिया जबकि वादी का वास्तविक नाम सम्पतलाल था वादी का नाम बिना जांच किये ही वादी का नाम श्योपतराम लिख दिया जबकि वादी का नाम सम्पतलाल दर्ज होना चाहिए था। उक्त खेतों पर वादी का कब्जा–काश्त एंव उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वादी ने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाकर बैंक में आवेदन किया तब बैंक ने राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादी से पहचान के सबूत मांगे एवं वादी का नाम सही नही होने से वादी को बैंक ने ऋण देने से इनकार कर दिया वादी के पहचान पत्र राशन कार्ड एवं शिक्षा के दस्तावेज सम्पतलाल नाम से बने हुए हैं जिससे बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड बनाने से इनकार कर दिया एवं कहा कि राजस्व रिकार्ड में नाम सही करवाने पर ही लोन दिया जायेगा तब वादी ने प्रतिवादी से राजस्व रिकार्ड में नाम अपने पहचान पत्र के अनुसार करने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादी ने रिकार्ड सही करने से इनकार कर दिया। वादी के पिता की विरास्त की भूमि है जो वादी को विरास्त में प्राप्त हुई है वादी के खेत के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सम्पतलाल की जगह श्योपतराम दर्ज कर दिया है जिसको वादी सही करवाने का अधिकारी है। वादी के खेत के राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम के वादी का नाम पहचान के दस्तावेजों के विपरीत होने से कई तरह की परेशानिया आती है एवं वादी अपने खेत पर केसीसी बनाने एवं सरकार की विभिन्न योजनाओ का लाभ उठाने से वचिंत हो रहा है जिससे वादी अपने खेत को विकसित करने से वचित है। वादी अपने के पहचान के सबूत में सम्पतलाल होने से वादी अपने खेत के राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम सम्पतलाल दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी ने अपने खेत पर केसीसी के लिये राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो वादी को पता चला कि वादी का नाम श्योपतराम दर्ज है जिसको सही करवाने के लिए प्रतिवादी से सम्पर्क किया तो प्रतिवादी ने नाम सही करने से इनकार कर दिया प्रतिवादी के इन्कार करने के दिन से ही वादी को वाद हेतु हासिल है। वादी ने उक्त दावा में राजस्थान सरकार को पक्षकार संयोजित किया गया है स्टैट के विरूद्ध दावा दायर करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है स्टैट को दो माह का नोटिस दिया जाकर दो माह का इन्तजार किया जाता है तो केसीसी का सीजनल समय निकल जायेगा और वादी को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त दावा में स्टैट के विरूद्ध कोई अपेक्षित अनुतोष नही मागा गया है स्टैट द्वारा राजस्व रिकार्ड का संधारण एवं रिकार्ड में संशोधन किया जाता है इसलिए स्टैट को पक्षकार संयोजित किया गया है। [illegible] घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती का है जिसका श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान [illegible]लय को प्राप्त है। वादी का दावा पूर्ण न्याय शुल्क एवं समयावधि के [illegible] वादी का दावा स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से आदेश फरमानें का निवेदन किया ग[illegible]:—

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2025.08.25 10:54:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(क) कि वादी संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 286 तादादी 19.8000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 643 तादादी 13.5900 रोही बीझासर में श्योपतराम की जगह सम्पतलाल घोषित किया जावें

(ख) कि प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि वादी खेत खसरा नम्बर 286 तादादी 19.8000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 643 तादादी 13.5900 रोही बीझासर में श्योपतराम की जगह सम्पतलाल दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में सशोधन करें ।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादी हो जावें वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावें।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाबदावा पेश किया गया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी की ओर से साक्ष्यवादी के रूप में शपथ पत्र पेश कर दस्तावेज प्रदर्श 1 से 3 व प्रदर्श 4ए से 9ए दावें के समर्थन में पेश किये गये। जिरह प्रतिवादी शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

**निर्णय**

खेत खसरा नम्बर 286 तादादी 19.8000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 643 तादादी 13.590 रोही बीझासर में श्योपतराम के स्थान पर सम्पतलाल घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यथावत रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

**निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।**

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2025.08.25 10:54:01 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री
मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ जिला बीकानेर**

पीठासीन अधिकारी शुभम शर्मा (R.A.S)

उनवान

सम्पतलाल पुत्र धन्नाराम जाति ब्राहम्मण निवासी बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूराजस्व श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

**दावा बाबत घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती**

**मुकदमा नम्बर 09/2024**

**निर्णय दिनांक:06.08.2025**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से राजाराम नैण अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से पैरोकारराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 286 तादादी 19.8000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 643 तादादी 13.590 रोही बीझासर में श्योपतराम के स्थान पर सम्पतलाल घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यथावत रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....0.. फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 06 माह 08 सन् 2025 को जारी किया गया ।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

वाद के खर्चे

| वादी | रूपया | प्रतिवादी | रूपया |
|---|---|---|---|
| 1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प | 0 | 1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | 0 |
| 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | 0 | 2. अर्जी के लिए स्टाम्प | 0 |
| 3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प | 0 | 3. प्लीडर की फीस | 0 |
| 4.........रूपये पर प्लीडर की फीस | 0 | 4.साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता | 0 |
| 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता | 0 | 5. आदेशिका की तामिल | 0 |
| 6.कमिश्नर की फीस | 0 | 6. कमिश्नर की फीस | 0 |
| 7.आदेशिका की तामिल | 0 | | |
| योग | 0 | योग | 0 |

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2025.08.25 10:54:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूँगरगढ